

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (तीन लाख रूपए) एवं 02 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 460000/- (चार लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक के पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का खौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रामस्वरूप चौधरी, 42, श्री केशो चौधरी, अनु० जाति	श्रीमती प्रतिमा देवी(पत्नी)	316/5.04. 2018	ग्रा०-बारत(पूर्वी पंडुई), पो०-मंझवे, था०-सीतामढ़ी, प्र०-मेसकौर, नवादा	727317000 66869	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बारत, मेसकौर, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेती में मजदूरी का कार्य
2	स्व० विन्देश्वर प्रसाद, 40, श्री प्रसादी महतो, पि० जाति	श्रीमती सुनैना देवी(पत्नी)	318/5.04. 2018	ग्रा०-रूस्तमपुर, पो०-समहरीगढ़, था०+प्र०-रोह, नवादा	729701001 01206	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, रोह, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, उेला पर फल-सब्जी बेचने का कार्य
3	स्व० मुकेश रविदास, 30, श्री प्रभु रविदास, अनु० जाति	श्रीमती मिन्ती देवी(पत्नी)	474/26.05. 2018	ग्रा०+पो०-ओढ़नपुर, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-नवादा	286501000 006340	इण्डियन ओवरसीज बैंक, नवादा IOBA0002865	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में राजमिस्त्री के कामगार मजदूर
4	स्व० रामचन्द्र पासवान, 60, श्री जीतू पासवान, अनु० जाति	श्रीमती सकुन्ती देवी(पत्नी)	522/09.06. 2018	ग्रा०+पो०-अकौना, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-नवादा	361613809 90	भारतीय स्टेट बैंक, कियोस्क, अकौना, नवादा SBIN0017817	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में राजमिस्त्री के कामगार मजदूर
5	स्व० रंजीत महाराज, 44, स्व० बैकुण्ठ महाराज, अनु० जाति	श्रीमती ईन्द्रा देवी(पत्नी)	525/13.6. 18	ग्रा०-सिंघना, पो०+था०-रूपौ, प्र०-कौआकोल, नवादा	729817000 96452	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, रूपौ, नवादा, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, गुमटी में पान बेचने का कार्य
6	स्व० धर्मेन्द्र चौहान, 30, स्व० गेन्दु चौहान, अ० पि० जाति	श्रीमती सावित्री देवी(पत्नी)	526/13.6. 18	ग्रा०-झुनावे, पो०-अषाढ़ी, था०+ प्र०+जि०-नवादा	456210110 010233	बैंक ऑफ इंडिया, नवादा, BKID0004562	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में राजमिस्त्री का कार्य

कुल :- ₹ 460000/-

(चार लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-23/2018 के पृष्ठ-08/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-23/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित

करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-23/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-23/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 460000/- (चार लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-23/2018-365

पटना, दिनांक :- ०४-०४-१४

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नवादा को उनके पत्रांक 316, 318 दिनांक 05.4.2018, 151 दिनांक 13.02.2018, 474 दिनांक 26.05.18, 522 दिनांक 09.06.18, 524, 525, 526 दिनांक 13.6.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।